



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1943 (श०)

(सं० पटना ६००) पटना, शुक्रवार, ९ जुलाई २०२१

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
९ जुलाई २०२१

एस० ओ० १२२, दिनांक ९ जुलाई २०२१— बिहार माल और सेवा कर नियमावली, २०१७ के नियम ४८ के उपनियम(४) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११० दिनांक ०६ मई, २०२०, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या २६७ दिनांक ०६ मई, २०२०, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं,

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुछेद में “ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उनसे भिन्न” शब्दों के पश्चात “एक सरकारी विभाग, एक स्थानीय निकाय,” शब्दों को अंतः स्थापित किया जाएगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-२१/२०१७ (खंड-१२)११९६)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

9 July 2021

एस० ओ० 122, दिनांक 9 जुलाई 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)1196)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 9th July 2021

S.O. 122, dated 9th July 2021— In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 110 dated the 6th May, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 267 dated the 6th May, 2020, namely: —

In the said notification, in the first paragraph, after the words “notifies registered person, other than”, the words “a government department, a local authority,” shall be inserted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)1196)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 600-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>